FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

A3/1

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सज्जनसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत निवासी मालगांव तहसील व जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार नागौर।

किस्म मुकदमा राजस्व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या (20 सन् 2019) 63/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24/9/19	वकील प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनांक 26.09.2019 को पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	
26.9.19	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी के निवेदन पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में मौजा मालगांव के खसरा नम्बर 325 गै.मु.गोचर व खसरा नम्बर 270 गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2019 सरकार बनाम सज्जनसिंह दर्ज कर दिनांक 27.08.2019 को निर्णय पारित कर जुर्माना व सिविल कारावास का निर्णय पारित किया है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपील तथा यह स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है। उक्त निर्णय दिनांक 27.08.2019 में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर ने संवत 2075 में भी प्रार्थी का उपरोक्त खसरो की भूमि पर अतिक्रमण होना बताते हुए पश्चात्वृति अतिक्रमण मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। जबकि संवत् 2075 में बताये गये उक्त अतिक्रमण के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर नागौर में मुकदमा संख्या 6/19 सज्जनसिंह बनाम सरकार विचाराधीन है, जिसमे न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा अपने पत्रांक 204 दिनांक 21.02.2019 से नायब तहसीलदार नागौर को सिविल कारावास संबंधित आदेश की क्रियान्विति आगामी पेशी तक स्थगित की जाने के निर्देश भी दिये जाने का कथन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2019 दी गई सिविल कारावास की सजा को स्थगित करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी के कथनानुसार हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खसरान की भूमि के संबंध में पूर्व से ही प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर में विचाराधीन है। अतः इस प्रकरण को भी सुनवाई हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के न्यायालय में अंतरित किया जाता है। मूल पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को भिजवाई जावे तथा वकील प्रार्थी को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर नागौर में तारीख पेशी 07.10.2019 को उपस्थित होने हेतु सूचित किया जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर नागौर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2019.11.11 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested